न्यायालयः उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश दिनांक.–08/01/2021
एम0ए0सी0 नं0 286/2016

---

1. नंदकेश्वर पिता मोहरसाय साकिन ग्राम सिलफिली तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 पंजीकृत स्वामी वाहन ट्रैक्टर कमांक सी0जी0 15 ए0 4697 छ0ग0

2. सुनील राय पिता श्याम कृष्ण राय साकिन ग्राम पाण्डोनगर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0

————————————**अपीलार्थीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

—: विरूद्ध :—

1. श्रीमती सुनहारो पति स्व0 सुनील राम उम्र 25 वर्ष
2. शंकर पिता स्व0 सुनील राम उम्र 8 वर्ष
3. कौन्शी पिता स्व0 सुनील राम उम्र 5 वर्ष
4. महेन्द्र सिंह पिता स्व0 सुखसाय उम्र 55 वर्ष
5. चहानकी बाई पति महेन्द्र राम उम्र 52 वर्ष

साकिनान– राजकिशोर नगर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0
(अवॉर्ड अनुसार) सही पता ग्राम पण्डोनगर
तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0

उत्तरवादी कमांक 2 एवं 3 अव्यस्क हैं, उनकी ओर से संरक्षक उत्तरवादी कमांक 1 उनकी माता

6. सुजीत कुमार रजवाड़े पिता रामकिशुन रजवाड़े

साकिन अजबनगर रंगपारा पोस्ट व थाना जयनगर जिला सूरजपुर छ0ग0 वाहन ट्रक कमांक सी0जी015 ए0 4697 का चालक

7. शाखा प्रबंधक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बिलासपुर

जिला बिलासपुर छ0ग0

———————उत्तरवादीगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री वी0के0 पाण्डेय अधिवक्ता

उत्तरवादी कमांक 1 से 5 द्वारा श्री एन0पी0 चंद्रवंशी अधिवक्ता

उत्तरवादी कमांक 6 एकपक्षीय

उत्तरवादी कमांक 7 की ओर से श्री दीपक कुमार अधिवक्ता

Hon'ble Mr. Sharad Kumar Gupta, Judge
C.A.V. ORDER

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1) इस आदेश के जरिये अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत विविध अपील आवेदन जिसे आई0ए0 नं0 1/2016 अंकित किया गया है, का निराकरण किया जा रहा है।

(2) उत्तरवादी कमांक 1 से 5 ने अपीलार्थीगण एवं उत्तरवादी कमांक 6 एवं 7 के विरूद्ध राशि 9,23,678/—रूपये के मुआवजे के लिये दावा मामला दायर किया था।

(3) कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त श्रम न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.12.2015 को विवादित अवॉर्ड पारित करते हुये अपीलार्थीगण को निर्देश दिया था कि वह आदेश दिनांक से एक माह के भीतर राशि 5,15,010/—रूपये न्यायालय में जमा करेगा।

(4) अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त अवॉर्ड से क्षुब्ध होकर यह विविध अपील प्रस्तुत की गयी है।

(5) अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रम न्यायालय बिलासपुर द्वारा अवॉर्ड पारित करने के पश्चात् दस्तावेज प्राप्त करने में कुछ देरी हुयी, स्थानीय अधिवक्ता से सलाह लेने के कारण कुछ देरी हुयी, स्थानीय अधिवक्ता ने उन्हें गलत सलाह दी कि अपील प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा 90 दिन है। देरी जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। अपीलार्थीगण ने विलंब को क्षमा करते हुये उनकी ओर से प्रस्तुत विविध अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय ने शकुंतला देवी जैन विरूद्ध कुंतल कुमारी (ए0आई0आर0 1969 एस0सी0 575) की कंडिका 7 में निम्नानुसार टिप्पणी की है कि –

''7. अलग सवाल यह है कि क्या प्रमाणित प्रति दाखिल करने में देरी या दूसरी ओर प्रमाणित प्रति के साथ अपील को फिर से दाखिल करने में हुये विलंब को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत् क्षमा किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी द्वारा विलंब का युक्तियुक्त कारण दर्शाया गया हो तो न्यायालय विलंब को क्षमा कर सकता है। जैसा कि कृष्ण विरूद्ध चत्तपन [ILR 13 Madras 269, 271] में निर्धारित किया गया है कि धारा 5 न्यायालय को विवेक प्रदान करती है जिसका अधिकार क्षेत्र के संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेक का प्रयोग उस तरीके से किया जाना चाहिये जिस तरह से सिद्धांतों पर प्रयोग किया जाना चाहिये। जिन्हें अच्छी तरह से समझा जाता है ''पर्याप्त कारण'' शब्द का उदार अर्थ लगाया जाता है ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके, जब अपीलार्थी पर कोई लापरवाही निष्क्रियता या सद्भावना की कमी आरोपित न हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) माननीय उच्चतम न्यायलय ने एन0 बालकृष्णनन विरूद्ध एम0 कृष्णमूर्ति [(1998) 7 SSC 123] की कंडिका 9 से 13 में यह टिप्पणी किया गया है कि:–

''9. यह स्वयं सिद्ध है कि विलंब में क्षमा दिया जाना न्यायालय के विवेक का मामला है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 यह नहीं कहती कि उक्त विवेक का उपयोग तभी किया जाना चाहिये जब विलंब एक निश्चित सीमा के भीतर हो। विलंब कितना है यह मायने नहीं रखता है लेकिन स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मापदण्ड है। कभी–कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण की कमी के कारण सबसे कम सीमा की देरी अक्षम्य हो सकती है जबकि कुछ अन्य मामलों में बहुत लंबी अवधि की देरी को माफ किया जा सकता है क्योंकि इसका स्पीष्टीकरण संतोष जनक है। एक बार जब न्यायालय स्पष्टीकरणक को पर्याप्त मान लेता है तो यह विवेक के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम होता है और आमतौर पर ऐसे निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिये। संशोधन क्षेत्राधिकार में तो और भी कम जब तब कि विवेक का प्रयोग पूरी तरह से अस्थिर आधारों पर या मनमाना या विकृत न हो। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय देरी के लिये दिखाये गये कारण पर नये सिरे से विचार करने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे उच्च न्यायालय के लिये यह खुला है कि वह नीचली न्यायालय के निष्कर्ष से अप्रभावित होकर भी अपना निष्कर्ष निकाले।

(10) इस भिन्न रूख का कारण यह है :–

न्यायालय का प्राथमिक कार्य उभयपक्ष के मध्य विवादकों का निपटारा करना और पर्याप्त न्याय प्रदान करना है। विभिन्न स्थितियों में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिये निर्धारित समय सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे समय में एक बुरा मामला अच्छे मामले में बदल जाता है।

(11) परिसीमा के नियम पक्षों के अधिकार को नष्ट करने के लिये नहीं है वह यह देखने के लिये है कि पक्ष विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि तत्काल राहत पा सके। कानूनी उपचार प्रदान करने का उद्देश्य है क्षति के कारण हुयी क्षति की भरपायी करे। सीमा का नियम कानूनी क्षति के निवारण के लिये ऐसे कानूनी उपाय के लिये एक जीवन अवधि तय करता है। समय कीमती है और बर्बाद हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बिताने के साथ नये कारण सामने आयेंगे, जिससे नये लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाकर कानूनी उपाय तलाशने की जरूरत होगी। इसलिए प्रत्येक उपाय के लिये एक जीवन अवधि तय की जानी चाहिये। उपाय शुरू करने के लिये अंतहीन अवधि अंतहीन अनिश्चित्ता और परिणामी अराजकता का कारण बन सकती है। इस प्रकार सीमा का नियम सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह मैक्सिमम इंट्रेस रिपब्लिका अप सिट फिनिस लिटियम (यह सामान्य कारण के लिये है कि मुकदमे बाजी के लिये एक अवधि निर्धारित की जाये) में निहित है। सीमा के नियम पक्षों के अधिकार को नष्ट करने के लिये नहीं है वे यह देखने के लिये है कि पक्षकार विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि तुरंत अपना उपाय तलाशें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निश्चित अवधि तक सक्रिय रखा जाना चाहिए।

(12) न्यायालय जानता है कि देरी को माफ करने से इंकार करने पर मुकदमा दायर करने वाले को अपना मामला पेश करने से रोक दिया जायेगा यह अनुमान कि न्यायालय के पास जाने में देरी हमेशा जानबूझकर की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाती है। इस न्यायालय ने माना है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत् पर्याप्त कारण शब्दों को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिये ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके। शकुंतला देवी जैन विरूद्ध कुंतल कुमारी (ए0आई0आर0 1969 एस0सी0 575) और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम प्रशासक हावड़ा नगर पालिका [(1972) 1 SSC 366 : AIR 1972 SC 749]

(13) यह याद रखना चाहिये कि देरी के हर मामले में संबंधित वादी की ओर से कुछ चूक हो सकती है केवल यही बात उसकी दलील को खारिज करने और उसके खिलाफ दरवाजा बंद करने के लिये पर्याप्त नहीं है। यदि स्पष्टीकरण में दुर्भावना की बू नहीं आती है या इसे विलंबकारी रणनीति के हिस्से के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो न्यायालय को वादी के प्रति अत्यंत विचारशील होना चाहिये लेकिन जब यह सोचने के लिय उचित आधार हो कि देरी स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिये यदि किसी पक्षकार द्वारा जानबूझकर समय प्राप्त करने के लिये किया गया था तो अदालत को ऐसे ....करने के विरूद्ध होनी चाहिये। क्षमा करते समय न्यायालय को विपरीत पक्ष को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिये कि वह एक हारे हुये व्यक्ति है और उन्हें भी मुकदमेंबाजी में काफी बड़ा खर्च उठाना पड़ा होगा। यह एक हितकार गाइडलाईन होगी कि जब न्यायालय देरी को क्षमा करते हैं तो न्यायालय विपक्षी पक्ष को उसके नुकसान की भरपायी करेगा।

(8) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी [(2013) 12 SSC 649] के मामले में यह माना है किः–

(i) विलंब की क्षमा के लिये आवेदन पर विचार करते समय उदार व्यवहारिक न्यायोन्मुख गैर पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्योंकि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अन्याय को वैध बनाये बल्कि अन्याय को दूर करने के लिये बाध्य है।

(ii) पर्याप्त कारण शब्दों को उनकी उचित भावना, दर्शन और उद्देश्य में समझा जाना चाहिये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ये शब्द मूल रूप से लचीले हैं और इन्हें प्राप्त तथ्य स्थिति के उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना चाहिये।

(iii) चूंकि पर्याप्त न्याय सर्वोपरि और निर्णयायक है इसलिये तकनीकी पहलुंओं पर अनावश्यक और अनपेक्षित जोर नहीं दिया जाना चाहिये।

(iv) जानबूझकर देरी करने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन अधिवक्ता या वादी की ओर से घोर लापरवाही को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) विलंब के लिये क्षमा मांगने वाले पक्षकार में सद्भावना का आभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(vi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि सख्त सबूत का पालन करने से सार्वजनिक न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिये और सार्वजनिक शरारत नहीं होनी चाहिये क्योंकि न्यायालयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि अंतिम स्थिति में न्याय में कोई वास्तविक विफलता न हो।

(vii) उत्तरवादी दृष्टिकोण की अवधारणा में तर्क संगतता की अवधारणा को समाहित किया जाना चाहिये और इसे पूरी तरह से उन्मुक्त स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(viii) अत्यधिक देर और कम अवधि या कुछ दिनों के देरी के बीच अन्तर है क्योंकि पहले वाले में पूर्वाग्रह का सिद्धांत लागू होता है जबकि दूसरे में यह लागू नहीं होता। इसके अलावा पहले वाले में सख्त दृष्टिकोरण की आवश्यकता होती है जबकि दूसरे में सख्त दृष्टिकोरण की आवश्यकता नहीं होती है।

(x) किसी पक्षकार का आचरण व्यवहार और रवैया उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित है जिन पर विचार किया जाना चाहिये इसलिए ऐसा है क्योंकि मौलिक सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय की तुलना के तराजू को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोरण के नाम पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xi) यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण मन गढंत है या आवेदन में दिये गये आधार काल्पनिक है तो न्यायालय को सतर्क रहना चाहिये कि अनावश्यक रूप से दूसरे पक्ष को ऐसे मुकदमें का सामना करने के लिये बाध्य न करें

(xii) यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी व्यक्ति सीमा कानून की तकनीकी बातों का सहारा लेकर धोखाधड़ी, गलत बयानी या अन्तवेषण से बच नहीं सकता।

(xiii) तथ्यों के संपूर्ण दायरे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिये तथा दृष्टिकोरण न्यायिक विवेक के प्रतिमान पर आधारित होना चाहिये जो वस्तुनिष्ट तर्क पर आधारित हो न कि व्यक्तिगत धारणा पर।

() राज्य या सार्वजनिक निकाय या सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ईकाइ को कुछ स्वीकार्य छूट दी जानी चाहिये।

(iii) विलंब की क्षमा के लिये आवेदन सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिये न की इस धारणा को बढ़ावा देते हुये कि न्यायालयों को इस सिद्धांत के आधार पर विलंब को क्षमा करना आवश्यक है कि गुणदोष के आधार पर किसी मामले का निर्णय न्याय वितरण प्रणाली के लिये मौलिक है।

(iii) विलंब की क्षमा के लिये आवेदन को व्यक्तिगत दर्शन के आधार पर नियमित तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिये जो मूलतः व्यक्ति परख है।

(iii) यद्यपि न्यायिक विवेक की अवधारणा के संबंध में कोई सटीक सूत्र नहीं बनाया जा सकता है फिर भी न्यायिक प्रणाली की स्थर्रता और सहकारिता प्राप्त करने के लिये सचेत प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि यही अंतिम संस्थागत आदर्श वाक्य है।

(iii) देरी को एक गैर गंभीर मामला मानने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए उदासीन तरीके से उदासीनता प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति को कानूनी दायरे में रोकना आवश्यक है।

9. इस मामले में विवादित निर्णय दिनांक 02.12.2015 को पारित किया गया था। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 30 (2) के प्रावधान के अनुसार अपील दिनांक 02.12.2015 से 60 दिनों के भीतर दायर की जा सकती थी। अपीलकर्ताओं ने यह अपील दिनांक 16.02.2016 को पेश की है। अपीलकर्ताओं ने यह विविध अपील 16 दिनों की देरी से पेश की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इस मामले में अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि कथित तौर पर कौन से दस्तावेज प्राप्त करने में कितना समय लगा इसके अलावा पुरस्कार की प्रति को छोड़कर तत्काल विविध अपील के साथ कोई अन्य दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। इसके अलावा वे यह भी दिखाने में विफल रहे हैं कि किस स्थानीय अधिवक्ता ने उन्हें सलाह दी कि विधिक अपील दायर करने के लिये सीमा 90 दिन है, इसलिए 16 दिनो की देरी को स्पष्ट करने के लिये अपीलकर्ताओं द्वारा उठाये गये उपरोक्त कारण नियमित रूप से अव्यवस्थित तरीके से है। कार्यवाही में लापरवाही सद्भाव की कमी उन पर आरोपित की जा सकती है। 16 दिनों की देरी के बारे में उपरोक्त स्पष्टीकरण से दुर्भावना की बू आती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये, यह न्यायालय यह पाता है कि शकुंतला देवी देवी जैन (सुप्रा), एन0 बालकृष्णन (सुप्रा) और ईशा भट्टाचार्य (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त न्यायिक मिसालें अपीलकर्ता के खिलाफ लागू होती है।

12. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में विफल रहे है उनके पास निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर न करने के लिये पर्याप्त कारण थे, विशेष रूप से 16 दिनों की देरी को स्पष्ट करने के लिये। परिणामस्वरूप, आईए संख्या 1 को खारिज किया जाता है।

13. आई.ए. संख्या 2 का भी निपटारा हो गया है।

14. परिणामस्वरूप, त्वरित विविध अपील भी खारिज की जाती है।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे द्वारा टंकित किया गया।

(कु0 रूपल अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

(कु0 रूपल अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur